
v/; k; 2

foÝkh; i xäku rFkk ctVh;
fu; a=.k

v;/; k; 2

foÜkh; i c/ku rFkk ctVh; fu; f=.k

2-1 i Lrkouk

विनियोग लेखे सरकार के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु दत्तमत एवं प्रभारित व्यय के लेखे हैं जिनकी तुलना विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विशेष रूप से यथा उल्लिखित विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों की राशियों से की जाती है। इन लेखाओं में मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदानों, समर्पण तथा पुनर्विनियोग स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किये जाते हैं और ये लेखे बजट की प्रभारित तथा दत्तमत मदों दोनों के सम्बन्ध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत व्यय की तुलना में वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्त व्यवस्था के प्रबन्धन और बजट सम्बन्धी प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसलिये वित्त लेखे के संपूरक हैं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अधीन वस्तुतः किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अधीन प्रदत्त अधिकार के अनुसार है और यह कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो व्यय भारित होना था वह भारित दिखाया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि, सम्बद्ध नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है।

2-2 fofu; kx ys[ks dk | kj kdk

2014–15 के दौरान 80 अनुदानों एवं विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश rkfydk 2-1 में दिया गया है।

rkfydk 2-1% o"kl 2014&15 ds fy, eiy@vuijjd i ko/kukd dh rgyuk ei
okLrfod 0; ; dh fLFkfr

(₹ djKM+e)

	0; ; dh i z-fr	eiy vunku@ fofu; kx	vuijjd vunku@ fofu; kx	; kx	okLrfod 0; ;	cpr v&%@ vkf/kD; %+%	I efi k jkf' k	31 ekpl dks I efi k jkf' k	31 ekpl rd I efi k jkf' k I s cpr dk i fr'kr %dkly-7@dkly-6%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
nYker	I राजस्व	93,142.38	6,085.96	99,228.34	75,846.86	(-)23,381.48	12,317.65	11,364.27	52.68
	II पूंजीगत	14,789.24	1,744.00	16,533.24	11,843.05 ¹	(-)4,690.19	3,187.63	2,967.65	67.96
	III ऋण एवं आग्रिम	3,894.82	10,536.28	14,431.10	12,539.35	(-)1,891.75	1,736.95	1,735.95	91.82
; kx nYker	1,11,826.44	18,366.24	1,30,192.68	1,00,229.26²	(-)29,963.42	17,242.23	16,067.87		57.54
i Hkfj r	IV राजस्व	7,959.82	837.46	8,797.28	7,566.10	(-)1,231.18	351.61	343.73	28.56
	V पूंजीगत	37.75	---	37.75	35.63	(-)2.12	3.75	3.75*	176.89*
	VI लोक ऋण—पुनर्भुगतान	9,177.00	---	9,177.00	4,920.52	(-)4,256.48	---	---	---
; kx i Hkfj r	17,174.57	837.46	18,012.03	12,522.25	(-)5,489.78	355.36	347.48		6.47
vkdfLedrk fuf/k s fofu; kx	---	300.00	300.00	300.00	----	----	----	----	---
egk; kx	1,29,001.01	19,503.70	1,48,504.71	1,13,051.51³	(-)35,453.20	17,597.59	16,415.35		49.64

* I efi k jkf' k cpr v&%@(-)vkf/kD; (+) I s vf/kd g@%
%=kr% fofu; kx yf[k

¹ अंतर्राज्यीय परिशोधन के ₹ 0.98 करोड़ समिलित हैं।

² राजस्व व्यय: ₹ 1040.14 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय: ₹ 4.77 करोड़ के अंतर्गत व्यय की कमी के रूप में समायोजित वसूलियाँ समिलित किए बिना सकल आंकड़े।

³ वास्तविक व्यय निम्नांकित कारणों से सीमा से अधिक बताया गया:

अव्ययित राशि के ₹ 115.45 करोड़ (राजस्व दत्तमत अनुभाग: ₹ 74.05 करोड़ तथा पूंजीगत दत्तमत अनुभाग: ₹ 41.40 करोड़) 31 मार्च 2015 के निरंक भुगतान प्रमाणकों के माध्यम से मुख्य शीर्ष 8443—सिविल जमा, 800—अन्य जमा के अंतर्गत अंतरित किए गए।

- वर्ष के दौरान ₹ 19,503.70 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए जो कि मूल प्रावधानों के 15.12 प्रतिशत थे। ₹ 35,453.20 करोड़ की कुल बचतों को ध्यान में रखते हुए ₹ 19,503.70 करोड़ के संपूर्ण अनुपूरक बजट अनावश्यक सिद्ध हुए।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि विभागों के प्रस्तावों की नियत संवीक्षा उपरांत अनुपूरक अनुदानों के प्रावधान किए गए थे। विभाग ने आगे उत्तर दिया कि विभाग से संबंधित मुददे व्यय को धीमा कर देते हैं।

तथ्य यह है कि अनुदानों के अंतर्गत समग्र बचतें अनुपूरक बजट से अधिक थीं।

- ₹ 35,453.20 करोड़ की समग्र बचत राजस्व अनुभाग के अधीन 73 अनुदानों एवं 43 विनियोगों और पूंजीगत अनुभाग के अधीन 54 अनुदानों एवं छह विनियोगों में ₹ 35,899.48 करोड़ की बचतों का परिणाम थी, जिसे राजस्व अनुभाग के अधीन चार अनुदानों/विनियोगों (₹ 440.63 करोड़) तथा पूंजीगत अनुभाग के अधीन दो अनुदान/विनियोग (₹ 5.65 करोड़) कुल ₹ 446.28 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया।

नियंत्रण अधिकारियों को बचतें/आधिक्य के सारभूत परिवर्तनों के कारणों को स्पष्ट करने बावत उन्हें सूचित (जुलाई-अगस्त 2015) किया गया। संबंधित विभागों द्वारा अंतिम बचतों के कारण सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।

- *vkdfledrk fuf/k dh ifrifr/u gkuk ₹ 1-08 djkm*

हमने देखा कि राज्य सरकार ने राज्य की आकस्मिकता निधि से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को मुख्यमंत्री नगरीय अधोसंरचना विकास योजना के लिए प्राप्त किए गए कर्ज के विरुद्ध ब्याज के भुगतान हेतु ₹ 1.08 करोड़ का अग्रिम स्वीकृत किया।

विभाग को अनुदान क्रमांक 22—मुख्य शीर्ष 2217 (आयोजनेत्तर), 45 लघु शीर्ष—101—योजना का नाम—मुख्यमंत्री नगरीय अधोसंरचना विकास के अंतर्गत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु वित्त वर्ष 2014–15 के मूल बजट/प्रथम अनुपूरक में प्रावधान करना आवश्यक था। मूल बजट/प्रथम अनुपूरक में उल्लेख किया जाना था कि अग्रिम का प्रावधान/प्राप्ति आकस्मिकता निधि से की गई है।

अनुदान क्रमांक 22 के विनियोग विवरण की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि यद्यपि व्यय किया गया था, परन्तु आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु न तो मूल बजट और न ही अनुपूरक अनुदानों में किए गए थे।

इस प्रकार, व्यय राज्य विधानसभा द्वारा प्राधिकृत नहीं किया जा सका था एवं राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की अप्रतिपूर्ति रही।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग ने सूचित किया कि नियत प्रतिपूर्ति की जाएगी।

2-3 foYkh; mYkj nkf; Ro , oactV i cku

2-3-1 vkoVuh; i kfedrkvka dh ryuk e fofu; kx&l kjHkr cpr

हमारे द्वारा किए गए विनियोग लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि 72 प्रकरणों में कुल ₹ 29,542.62 करोड़ की सारभूत बचतें हुई थी। प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ एवं संबंधित बजट प्रावधानों के 20 प्रतिशत से भी अधिक की बचत हुई (ifjf'k'V 2-1)। कुल बचतों ₹ 35,453.20 करोड़ में से, 37 प्रकरणों में ₹ 100 करोड़ एवं उससे अधिक की सारभूत बचतें कुल ₹ 28,334.01 करोड़ (79.92 प्रतिशत) हुई, जो rkfydk 2-2 में दर्शाई गई हैं।

rkfydk 2-2% ₹ 100 djkM+rFkk ml ls vf/kd , oafy iko/kku ds 20 ifr'kr ls vf/kd
dh cprks okys vupku@fofu; kxksa dh lph

(₹ djkM+e)

I -Ø-	vupku@ fofu; kx dh I ; k rFkk uke	ely iko/kku	vujj d iko/kku	; kx	okLrfod Ø ;	cpr	cpr dk ifr'kr
1	2	3	4	5	6	7	8
jktLo&nYker							
1	01—सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	544.18	58.00	602.18	409.03	193.15	32.07
2	07—वाणिज्यिक कर	2,545.19	0.08	2,545.27	1,498.87	1,046.40	41.11
3	08—भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	1,243.45	9.79	1,253.24	901.18	352.06	28.09
4	13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2,377.56	85.62	2,463.18	1,944.53	518.65	21.06
5	14—पशुपालन	682.40	29.29	711.69	557.30	154.39	21.69
6	15—अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,727.36	23.77	1,751.13	1,201.63	549.50	31.38
7	17—सहकारिता	466.49	450.18	916.67	206.54	710.13	77.47
8	19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4,014.97	0.88	4,015.85	3,144.69	871.16	21.69
9	29—विधि और विधायी कार्य	1,248.69	23.62	1,272.31	708.20	564.11	44.34
10	30—ग्रामीण विकास	697.32	18.89	716.21	438.87	277.34	38.72
11	31—योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	260.09	7.28	267.37	72.15	195.22	73.01
12	33—आदिम जाति कल्याण	1,673.73	0.02	1,673.75	1,311.37	362.38	21.65
13	38—आयुष	460.56	सांकेतिक	460.56	226.28	234.28	50.87
14	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5,534.86	114.58	5,649.44	3,736.60	1,912.84	33.86
15	50—उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	414.53	6.85	421.38	281.36	140.02	33.23
16	52—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,116.72	114.01	3,230.73	2,436.21	794.52	24.59
17	53—अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	265.50	-	265.50	150.26	115.24	43.40
18	55—महिला एवं बाल विकास	2,311.59	38.41	2,350.00	1,447.80	902.20	38.39
19	58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	3,567.05	588.15	4,155.20	3,099.44	1,055.76	25.41
20	61—बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	143.56	-	143.56	30.40	113.16	78.82
21	64—अनुसूचित जाति उपयोजना	3,606.45	135.74	3,742.19	2,353.45	1,388.74	37.11
22	66—पिछड़ा वर्ग कल्याण	757.44	6.25	763.69	514.18	249.51	32.67
23	67—लोक निर्माण—भवन	464.59	61.59	526.18	402.76	123.42	23.45
24	73—विकित्सा शिक्षा	483.41	67.41	550.82	422.62	128.20	23.27
25	74—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय सहायता	12,641.12	1,077.18	13,718.30	9,438.35	4,279.95	31.20
26	75—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	5,724.07	91.55	5,815.62	4,554.97	1,260.65	21.68
27	77—स्कूल शिक्षा से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर)	2,370.64	13.72	2,384.36	1,618.56	765.80	32.12

I -Ø-	vupku@ fofu; kx dh t; k rFkk uke	eiy i ko/kku	vuj j d i ko/kku	; kx	okLrfod 0; ;	cpr	cpr dk i fr'kr
1	2	3	4	5	6	7	8
i thxr&nÜker							
28	06—वित्त	170.80	300.00	470.80	329.53	141.27	30.01
29	30—ग्रामीण विकास	1,471.55	-	1,471.55	600.40	871.15	59.20
30	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2,848.01	22.97	2,870.98	1,662.65	1,208.33	42.09
31	48—नमंदा घाटी विकास	1,251.30	1.46	1,252.76	788.14	464.62	37.09
32	55—महिला एवं बाल विकास	278.30	78.27	356.57	74.17	282.40	79.20
33	61—बुद्धलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	369.21	-	369.21	248.65	120.56	32.65
34	64—अनुसूचित जाति उपयोजना	2,198.12	115.93	2,314.05	1,529.00	785.05	33.92
jktLo&i Hkfj r							
35	12—जर्जा	170.50	194.73	365.23	68.20	297.03	81.33
36	25—खनिज संसाधन	400.05	248.29	648.34	0.002	648.34	100
i thxr&i Hkfj r							
37	पी.डी.—लोक ऋण ; kx	9,177.00	-	9,177.00	4,920.52	4,256.48	46.38
		77,678.36	3,984.51	81,662.87	53,328.86	28,334.01	34.70

॥=kr% fofu; kx yd/kk

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अनुदानों से संबंधित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 138 योजनाओं में सारभूत बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ से अधिक) देखी गई जो कि ₹ 2,000 करोड़ तक की थी। विवरण **i fjf'k"V 2-2 ½d%** में दिए गए हैं।

2-3-2 / rr cpr

आठ प्रकरणों में, विगत पाँच वर्षों 2010–11 से 2014–15 के दौरान, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक की सतत बचतें हुई थीं जिन्हें **rkfydk 2-3** में दिखाया गया है।

**rkfydk 2-3% vupku@fofu; kx ftuds vr xir 2010&15 ds nkjku I rr cpr gpl
1/2 dj kM+ e%**

I - Øt	vupku@fofu; kx dh t; k rFkk uke	cpr kx dh j kf'k ½dkBdk ea dy vupku dk i fr'kr				
		2010&11	2011&12	2012&13	2013&14	2014&15
jktLo&nÜker						
1	29—विधि और विधायी कार्य	259.71 (41.04)	137.82 (20.06)	192.19 (28.05)	333.48 (35.47)	564.12 (44.34)
बचतें मुख्य शीर्ष 2014—न्याय प्रशासन एवं 2015—निर्वाचन के अंतर्गत हुईं।						
2	31—योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	85.87 (56.29)	386.39 (84.12)	211.54 (75.54)	121.62 (50.42)	195.23 (73.02)
बचतें मुख्य शीर्ष 3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं एवं 3454—जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी के अंतर्गत हुईं।						
3	40—जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय—आयाकट	1.22 (38.98)	109.64 (97.52)	2.67 (51.84)	3.82 (50.73)	6.22 (51.53)
बचत मुख्य शीर्ष 2705—कमान क्षेत्र विकास के अंतर्गत हुई।						
jktLo&i Hkfj r						
4	06—वित्त	12.41 (97.49)	14.23 (96.28)	12.93 (52.18)	13.24 (89.64)	12.40 (83.90)
बचत मुख्य शीर्ष 2071—पेशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ के अंतर्गत हुई।						
i thxr&nÜker						
5	06—वित्त	74.94 (70.18)	1,501.78 (92.80)	1,374.53 (95.53)	234.74 (81.98)	141.27 (30.01)
बचत मुख्य शीर्ष 6075—विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज के अंतर्गत हुई।						

6	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2.93 (69.76)	2.50 (85.62)	2.50 (76.69)	2.50 (100)	2.50 (100)
बचत मुख्य शीर्ष 6245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज के अंतर्गत हुई।						
7	67-लोक निर्माण-भवन	35.89 (33.27)	41.39 (38.11)	45.79 (32.98)	91.29 (49.98)	75.72 (40.33)
बचत मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत हुई।						
8	लोक ऋण	3,392.77 (57.29)	3,650.31 (53.68)	3,903.17 (52.13)	4,018.05 (50.08)	4,256.48 (46.38)
बचत मुख्य शीर्ष 6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण के अंतर्गत हुई।						

लैंबू% / लैंबूर दू% ds fofu; लैंबू%

सतत बचतों से प्रदर्शित हुआ कि बजट अनुमान वास्तविक रूप से तैयार नहीं किए गए थे एवं संबंधित विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावशाली नहीं थे।

2-3-3 ; kstukvks ds vrxtv vf//d 0: ;

37 प्रकरणों में, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ₹ 4,023.24 करोड़ का कुल आधिक्य व्यय, प्रत्येक प्रकरण में अनुमोदित प्रावधान से ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक और प्रत्येक योजना के लिए किए गए प्रावधानों के 20 प्रतिशत से भी अधिक था। जिसका विवरण i f'f'k"V 2-2 ¼[k% में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग ने बताया कि सख्त व्यय नियंत्रण तंत्र था एवं बजट प्रावधान के अतिरिक्त कोई व्यय की अनुमति नहीं दी गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि विनियोग लेखे में इन 37 योजनाओं के अंतर्गत आधिक्य व्यय स्पष्ट परिलक्षित है।

2-3-4 ; kstukvks ds vrxtv vi; ꝑ iko//ku

86 प्रकरणों में, विभिन्न योजनाओं (प्रत्येक में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक) के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान, कुल ₹ 9,143.23 करोड़ अप्रयुक्त रहा। जिसका विवरण i f'f'k"V 2-2 ¼[k% में दिया गया है।

2-3-5 2014&15 ds nkjku iko//ku Is vlf/kD; ftuds fu; eu d// vko'; drk gs

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा अनुदान/विनियोग से अधिक व्यय का राज्य विधानसभा से नियमन कराया जाना अनिवार्य है। यदि राज्य विधान सभा द्वारा किसी सेवा पर जिस उद्देश्य के लिए अनुमोदित राशि से अधिक व्यय किया गया है, तो लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) तथ्यों के साथ, आधिक्य की परिस्थितियों की जांच करेगी तथा इसको नियमितीकरण करने की अनुशंसा कर सकती है।

2014–15 के दौरान राज्य की समेकित निधि से ₹ 446.28 करोड़ के छह प्रकरणों में प्राधिकृत प्रावधान से कुल आधिक्यों का सारांश rkfydk 2-4 में दर्शित है, जिनमें संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमन की आवश्यकता है। उपर्युक्त आधिक्यों के कोई कारण सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।

rkfydk 2-4: 2014&15 ds nkjku i ko/kku l s vkf/kD; ftuds fu; ferhdj.k dh
vko'; drk gs

(₹ dj kM+e)

vupku@ fofu; kx dh l a; k rFkk uke	ely i ko/kku	vuj j d i ko/kku	dly vupku@ fofu; kx	0; ;	vkf/kD;
02*-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय (राजस्व दत्तमत)	30.87	1.25	32.12	55.62	23.50
06-वित्त (राजस्व दत्तमत)	6,573.79	0.58	6,574.37	6,983.80	409.43
24-लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल (राजस्व प्रभारित)	2.00	निरंक	2.00	7.83	5.83
41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (पूँजीगत प्रभारित)	0.15	निरंक	0.15	2.61	2.46
42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल (पूँजीगत दत्तमत)	520.88	170.00	690.88	694.07	3.19
67-लोक निर्माण कार्य-भवन (राजस्व प्रभारित)	0.50	निरंक	0.50	2.37	1.87
; kx	7,128.19	171.83	7,300.02	7,746.30	446.28

1=kr% fofu; kx yf/kd

* bl vupku ds vrxt 2013&14 ds nkjku Hk vkf/kD; gvk Fkk%

2-3-6 foxr o"kk l s l cf/kr i ko/kku l s vkf/kD; ftuds fu; eu dh
vko'; drk gs

वर्ष 1997-98, 2003-04 से 2006-07 एवं 2008-09 से 2013-14 से संबंधित ₹ 774.60 करोड़ राशि अधिक व्यय को i fjf' k"V 2-3 में दिए गए विवरणों के अनुसार अब भी नियमित किया जाना है। नियमितीकरण हेतु लंबित अधिक व्यय की राशियों का वर्षवार सारांश rkfydk 2-5 में दिया गया है।

rkfydk 2-5%foxr o"kk l s l cf/kr i ko/kku l s vkf/kD; ftuds fu; eu dh vko'; drk gs

o"kl	l a; k		vf/kd 0; ; ₹ dj kM+e	fu; eu dh flFkfr (31 vDVej 2015 dh flFkfr e)	
	vupku	fofu; kx		5	
1	2	3	4		
1997-98	10	03	302.79	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।	
2003-04	04	03	2.54	अनुदान संख्या 68 (राजस्व दत्तमत) के संदर्भ में ₹ 1.24 करोड़ को छोड़कर संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।	
2004-05	13	02	83.66	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।	
2005-06	04	02	37.58	अनुदान संख्या 39 (पूँजीगत दत्तमत) के संदर्भ में ₹ 2.27 करोड़ को छोड़कर संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।	
2006-07	02	01	35.99	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।	
2008-09	02	02	5.80	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।	
2009-10	04	निरंक	123.96	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।	
2010-11	निरंक	02	12.62	अनुदान संख्या 23 (राजस्व प्रभारित) के संदर्भ में ₹ 0.02 करोड़ को छोड़कर संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।	

2011–12	04	02	135.10	अनुदान संख्या 33 (राजस्व दत्तमत्त), 23 (राजस्व प्रभारित एवं पूँजीगत प्रभारित) के संदर्भ में ₹ 10.90 करोड़ को छोड़कर संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2012–13	निरंक	02	0.24	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए गए।
2013–14	02	01	34.32	रिपोर्ट (राज्य वित्त) 2013–14 राज्य विधानसभा में दिनांक 22 जुलाई 2015 को प्रस्तुत की गई थी।
; kx	45	20	774.60	

वर्षों से अनुदानों/विनियोगों के अधीन प्रावधान से आधिक्य का अनियमितीकरण अनुदानों/विनियोगों पर विधायी नियंत्रण का उल्लंघन है।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग ने बताया कि 1997–98 से संबंधित आधिक्य व्यय का नियमितीकरण किया जा चुका था। लोक लेखा समिति की अनुशंसानुसार अन्य प्रकरणों के लिए नियमितीकरण प्रक्रिया की जा रही थी।

तथ्य यह है कि आधिक्य व्यय का नियमितीकरण कई वर्षों से लंबित था एवं 1997–98 के दौरान आधिक्य व्यय के नियमितीकरण के लिए राजपत्र अधिसूचना अभी भी प्रतीक्षित थी।

2-3-7 *vuko'; d@vR; f/kd@vi; klr vuwijd iko/kku*

अनुदानों/विनियोगों के 53 प्रकरणों में, वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए कुल ₹ 4,010.39 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या इससे अधिक पूर्ण रूप से अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि वास्तविक व्यय, मूल प्रावधान से कम था। विवरण *i fj'f'k"V* 2-4 में दर्शाया गया है। 18 प्रकरणों में ₹ 11,681.24 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध ₹ 15,280.80 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक की बचतें हुयी जिनका कुल योग ₹ 3,599.56 करोड़ था, को *i fj'f'k"V* 2-5 में दर्शाया गया है।

2-3-8 *fuf/k; k@dk vR; f/kd@vuko'; d iufofu; kx@I eizk*

पुनर्विनियोग, विनियोग की एक इकाई जहाँ बचतें अनुमानित हैं, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है को अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है। हमने 41 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक का पुनर्विनियोग) अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग या समर्पण देखा जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक की बचतें/आधिक्य हुआ जिसका विवरण *i fj'f'k"V* 2-6 में दिया गया है।

2-3-9 *I effir u d@ xbl iR; kf'kr cprz*

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.9 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय में प्रत्याशित बचतों का विवरण पत्रक 15 जनवरी तक वित्त विभाग को आवश्यक रूप से सौंपना होता है।

वर्ष 2014–15 की समाप्ति पर, 33 अनुदानों एवं दो विनियोगों में बचतें हुईं लेकिन संबंधित विभागों द्वारा इनके किसी भी भाग को समर्पित नहीं किया गया था। इन प्रकरणों में समाविष्ट राशि ₹ 9,466.50 करोड़ (कुल बचतों ₹ 35,453.20 करोड़ का 26.70 प्रतिशत) थी (*i fj'f'k"V* 2-7)।

117 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों का समर्पण), ₹ 16,147.90 करोड़ (*i fj'f'k"V* 2-8) की कुल बचत का समर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को किया गया, जिससे इन निधियों की अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग हेतु गुंजाइश नहीं बची।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग ने बताया कि सभी विभागों को स्थायी आदेश जारी कर दिए गए थे जो आवश्यकतानुसार दोहराए जाएंगे।

2-3-10 vokLrfod , oɔ vfoodi ॥ k / eɪk

॥ v ॥ okLrfod cprk ॥ s vf/kd | eɪk

आठ प्रकरणों में, समर्पित राशि (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) वास्तविक बचतों से अधिक थी जिससे इन विभागों में बजटीय नियंत्रण की अपर्याप्तता या कमी प्रकट हुई। ₹ 2,339.94 करोड़ की बचतों के विरुद्ध समर्पित राशि ₹ 2,381.32 करोड़ थी परिणामस्वरूप ₹ 41.38 करोड़ का अधिक समर्पण हुआ। विवरण i f j f' k"V 2-9 में दिया गया है।

॥ c ॥ vf/kd ॥ ; ds ckotn | eɪk

छह प्रकरणों में, ₹ 106.44 करोड़ की राशि का समर्पण किया गया जबकि ₹ 446.29 करोड़ का पहले से ही अधिक व्यय था जिससे विभाग में बजटीय नियंत्रण की अपर्याप्तता प्रकट हुई। विवरण i f j f' k"V 2-9 में दिया गया है।

2-3-11 ॥ ; d h vr; f/kdrk

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.13 के अनुसार, व्यय की अत्यधिकता विशेष रूप से वित्त वर्ष के अंतिम माहों में साधारणतया वित्तीय अनियमितता माना जाएगा।

हमने पाया कि 24 अनुदानों/विनियोगों के 48 प्रकरणों⁴ में ₹ 3,117.25 करोड़ (इन अनुदानों/विनियोगों के अधीन कुल व्यय का 78 प्रतिशत) वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय किए गए। इनमें से ₹ 2,995.06 करोड़ का व्यय मार्च माह में किया गया था। प्रत्येक प्रकरण में कुल व्यय की तुलना में माह मार्च के दौरान किए गए व्यय का प्रतिशत 50 से 100 के मध्य रहा। विवरण i f j f' k"V 2-10 में दिया गया है। इससे त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और व्यय के प्रवाह में एकरूपता न होना दर्शित हुआ जो कि बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है।

2-3-12 fuf/k; k ॥ dk vkgj.k , oɔ fl foy tek eɪj/kuk

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 284 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो।

2014-15 के दौरान, 31 मार्च 2015 को ₹ 115.45 करोड़ आहरित किए गए थे एवं लेखे में संबंधित केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत अंतिम व्यय दर्शाते हुए 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरित किए गए थे, जैसा कि i f j f' k"V 2-11 में दर्शाया गया है। इस प्रकार, केन्द्रीय निधियों को व्यपगत होने से बचाने के लिए राशियों को आवश्यकता से पूर्व आहरित किया गया, जो कि संहितागत प्रावधान के प्रतिकूल है।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग ने बताया कि सिविल जमा में निधियों के रखे जाने को हतोत्साहित किया गया था। समेकित निधि से लोक लेखे में अंतरण केवल अपवादात्मक प्रकरणों में किया गया था।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि केन्द्रीय निधियों को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियां सिविल जमा शीर्ष में 31 मार्च 2015 को जमा की गई थीं।

2-3-13 fcuk i kō/kku dsfd, x, ॥ ;

हमने देखा कि बजट अनुमानों में बिना कोई प्रावधान के 6003-101-6767-5.85 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2015 (अनुदान लोक ऋण में) में ₹ 799.96 करोड़ का व्यय किया गया। इस शीर्ष के अन्तर्गत व्यय का उस व्यय का परिलक्षित होने का कारण इस शीर्ष के स्थान पर विनियोग त्रुटिवश शीर्ष 6003-101-7887-5.85 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2017 के अंतर्गत पारित किया गया।

⁴ जहां अंतिम तिमाही में व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक हुआ।

2-3-14 volLrfod ctV vupku

मध्य प्रदेश शासन बजट नियमावली खंड-1 (भाग ब) की कंडिका बी-7 एवं 8 के अनुसार, समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा तैयार किए गए व्यय एवं प्राप्तियों के अनुमान को संग्रहित करने के साथ ही साथ आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान विभागीय योजनाओं के लिए प्राप्त की जाने वाली बजटेत्तर निधियों के अनुमानों की तैयारी एवं व्यय और प्राप्तियों के अनुमानों को अंतिम रूप देने के उत्तरदायी हैं, बजट नियंत्रण अधिकारियों को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार सभी अनुमानों को संग्रहित करना चाहिए एवं उनकी समीक्षा करनी चाहिए।

विनियोग लेखे की जांच के दौरान हमने देखा कि 25 योजनाओं (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक) में वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में क्रमशः ₹ 5,048.05 करोड़, ₹ 4,614.11 करोड़ एवं ₹ 4,334.71 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था जो पूर्णतः अप्रयुक्त रहा। इससे यह दर्शित होता है कि बजट प्रावधान बिना वास्तविक आवश्यकता के तदर्थ आधार पर तैयार किए गए थे। विवरण *i f j f' k" V 2-12* में दिए गए हैं।

2-3-15 ctV vkolu / sckgj vupkfur cprk adk / eizk u djuk

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता (60) के अनुसार “उचंत” शीर्ष का संचालन लेन-देनों के अस्थाई प्रकार (पैसेज) के लिए किया जाता है क्योंकि या तो सुसंगत भुगतान वसूली या समायोजन प्रतीक्षित होते हैं या किसी भण्डार सामग्री के मूल्य पर प्रभावी निगरानी रखना आवश्यक होता है जब तक की उनका अंतिम निराकरण न हो जाए।

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.9 एवं कंडिका 26.12 के अनुसार बजट नियंत्रण अधिकारियों को व्यय में प्रत्याशित बचतों के विवरण वित्त विभाग को 15 जनवरी तक प्रस्तुत करना आवश्यक है, क्योंकि मुख्यतः जब किसी मुख्य शीर्ष के अंतर्गत अप्रत्याशित आधिक्य व्यय होता है तो अनुदान के अंतर्गत अन्यत्र से बचतों के पुनर्विनियोजन से पूरा किया जा सकता है। ऐसे प्रकरण जहां प्रशासनिक विभाग द्वारा इसके द्वारा प्रबंधित अनुदान में बचत प्रत्याशित होती है विभाग को उसके लिए समर्पण आदेश जारी करना होता है। समर्पण से संबंधित सभी गतिविधियां 15 जनवरी से पूर्व करना आवश्यक हैं जिससे वित्त विभाग संसाधनों को पुनः आवंटन कर सके। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 284 में तत्काल उपयोग के लिए आवंटन के विरुद्ध निधियों के आहरण का प्रावधान है।

शासन से स्वीकृत बजट आवंटन के विरुद्ध लोक निर्माण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को सड़क कार्य संपादन हेतु निधियों उपलब्ध कराई जा रही थी। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम सरकार के एजेण्ट के रूप में लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों के उपयोग द्वारा सड़कों के निर्माण/रखरखाव का कार्य करती है। लोक निर्माण विभाग ने वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 667.37 करोड़, ₹ 750.88 करोड़ एवं ₹ 921.40 करोड़ की धनराशि इस हेतु मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को उपलब्ध कराई।

हमने देखा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने निधियों को क्रमबद्ध तरीके से सड़कों के निर्माण/रखरखाव पर व्यय किया। अतः लोक निर्माण विभाग को उपर्युक्त निधियों के अंतरण को प्रथमतः ‘उचंत लेखे’ एवं वित्त वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा उपयोग की गई निधियों को अंतिम रूप से व्यय शीर्ष में लेखांकन किया जाना आवश्यक था। तथापि लोक निर्माण विभाग ने जैसे ही निधियों को मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को अंतरित किया इसे अंतिम व्यय के रूप में लेखांकित किया। इसके परिणामस्वरूप

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को अंतरित निधियों पर न केवल सरकार एवं लोक निर्माण विभाग के नियंत्रण में कमी बल्कि सरकार के लेखों में बढ़ाकर बताये गये व्यय ₹ 377.98 करोड़ एवं ₹ 349.97 करोड़ क्रमशः वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के अंत में अप्रयुक्त शेष रहे थे।

हमने आगे यह भी देखा कि लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा निधियों के उपयोग के लेखों को प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित नहीं कर रही थी जिसके कारण मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के पास अप्रयुक्त निधि का पता नहीं लग सका। मध्य प्रदेश बजट नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, लोक निर्माण विभाग को बजट आवंटन में से अनुमानित बचतों को समर्पण करने के लिए आंकलन करना एवं प्रत्येक वित्त वर्ष के 15 जनवरी तक वित्त विभाग को सूचित करना था। हमने देखा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा इस तरह की कोई कवायद नहीं की गई थी। अतः 2012–13 एवं 2013–14 के अंत में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के पास क्रमशः ₹ 377.98 करोड़ एवं ₹ 349.97 करोड़ अनुमानित बचतें (अप्रयुक्त निधियों) शासन को समर्पित नहीं की जा सकी थी। अगले वित्त वर्ष में निधियों के आवंटन के लिए विधानसभा की स्वीकृति की आवश्यकता को जरुरी नहीं समझा। परिणामस्वरूप बजटीय आवंटन के माध्यम से विधानसभा नियंत्रण में कमी आई।

इस ओर इंगित किए जाने पर, शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि वर्ष के दौरान संविदागत देयताओं को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार ने कार्यों की आवश्यकतानुसार निधियां जारी की थी। यह भी बताया गया कि वर्ष के अंत में शेष में लगातार कमी आई है एवं वर्ष के अंत में बची हुई निधियों की मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को अनुगमी वर्ष के प्रारम्भ में संविदागत देयताओं को पूरा करने के लिए निरंतर आवश्यकता थी, जबकि राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी करने में समय लगता है। आगे यह भी बताया गया कि प्रशासनिक विभाग अर्थात् लोक निर्माण विभाग गतिविधियों का अनुवीक्षण, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण एवं समय–समय पर निधियों का उपयोग एवं अवर्गीकृत लेन–देन के लिए ‘उचंत लेखे’ सबसे अधिक उपयुक्त था इस कारण से इस प्रकरण में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जहां लेखा शीर्ष को पहचाना जाना था।

उत्तर स्वीकार नहीं था क्योंकि अप्रयुक्त निधियों की प्रमात्रा इस तथ्य को दर्शाती है कि निधियों का आहरण निधियों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम्पनी को संवितरित नहीं किया गया था एवं मध्य प्रदेश बजट नियमावली में आवश्यक निधियों की प्रत्याशित बचतों को समर्पित नहीं किया गया था। लोक निर्माण विभाग ने वित्त वर्ष के प्रारम्भ में उस वर्ष के प्रारम्भ अप्रैल/मई में स्वयं निधियों का अंतरण कर दिया था एवं इसलिए संविदागत देयता निपटान में कोई अवरोध नहीं था। अंतिम भुगतान/व्यय के लिए प्रतीक्षित अस्थायी प्रकृति के लेन–देनों को उनके अंतिम निराकरण तक प्रभावपूर्ण निगरानी हेतु उचंत लेखे में लेखांकन किया जाता है एवं न कि सिर्फ लेखा शीर्ष की पहचान हेतु प्रतीक्षित लेन–देनों के संबंध में।

2-4 p; fur vupkukā dh | eh{kk dk i fj . kke

विधानसभा में अनुदानों की मांगों पर मतदान होने के उपरांत राज्य की समेकित निधि से सभी प्रकार के धन के विनियोग हेतु एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है जो (क) विधानसभा द्वारा दी गई अनुदानों और (ख) समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति करता है। विनियोग विधेयक पर राज्यपाल की सहमति प्राप्त करने के उपरांत, विनियोग अधिनियम और संलग्न अनुसूचियों में दर्शाई गई राशियाँ, विभिन्न मांगों में व्यय के लिए स्वीकृत अनुदान मानी जाती हैं।

हमने बजटीय प्रक्रिया एवं एक अनुदान अर्थात् अनुदान क्रमांक 03–पुलिस से संबंधित व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की (जुलाई–सितम्बर 2015)। पुलिस महानिदेशक, भोपाल अनुदान क्रमांक 03 के बजट नियंत्रण अधिकारी है।

वर्ष 2014–15 के लिए वित्त विभाग द्वारा बजट अनुमान प्रस्तुत करने की समय अनुसूची के संबंध में जारी निर्देशों (08/08/2013) के अनुसार प्रशासनिक विभाग द्वारा आयोजनेतर एवं आयोजना व्यय के लिए अनुमान क्रमशः 14/10/2013 एवं 07/10/2013 तक वित्त विभाग को प्रस्तुत करने थे। बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, विभाग (अनुदान क्रमांक 03) के लिए बजट अनुमान पुलिस विभाग द्वारा वित्त विभाग को दिनांक 21/10/2013 को प्रस्तुत किए गए थे।

2-4-1 /kjkdkh—r fLFkfr

अनुदान क्रमांक 03 के अंतर्गत बजट, किए गए व्यय एवं बचत की राशियों के विवरण rkfydk 2-6 में सारांशीकृत हैं।

rkfydk 2-6% | kjkdkh—r fofu; kx

(₹ djkm+es)

vupku dk fooj.k	vupkkx	ely ctV	vuijjd ctV	dly vupku	okLrfod 0; ;	cpr	cprk dk dly vupku lsifr'kr
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुदान क्रमांक 03	राजस्व (दत्तमत) पूंजीगत (दत्तमत)	4,507.08 101.37	35.36 साकेतिक	4,542.44 101.37	3,793.99 87.07	748.45 14.30	16.48 14.11
				4,608.45	35.36	4,643.81	3,881.06
						762.75	16.43

₹=₹% fofu; kx yqkx

इस अनुदान की समीक्षा में निम्न का पता चला:

2-4-2 egRoi kl cpr

हमने देखा कि 16 योजनाओं में ₹ 10 करोड़ से अधिक की ₹ 655.72 करोड़ की महत्वपूर्ण बचतें थीं जो कि योजनाओं के अधीन कुल अनुदान/विनियोग के नौ से 100 प्रतिशत तक थीं। विवरण i fjk"V 2-13 में दिए गए हैं।

2-4-3 p; fur vupku ds vrxt fofklu ; kstukvka es viz pr iko/kku

अनुदान क्रमांक 03 के अंतर्गत चार प्रकरणों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किया गया सम्पूर्ण प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) कुल ₹ 41.09 करोड़ अप्रयुक्त रहा। विवरण rkfydk 2-7 में दिया गया है।

rkfydk 2-7% fofklu ; kstukvka es viz pr iko/kku dk fooj.k

(₹ djkm+es)

I - Ø-	; kstuk dk uke	dly iko/kku	0; ;	cpr dh jkf'k	i fr'kr
1	2	3	4	5	6
1	2055–109–1501–7448–महानगरीय पुलिस सुरक्षा व्यवस्था एवं राजमार्ग सुरक्षा	25.00	निरंक	25.00	100
2	2055–800–0101–7350–ऑटोमेटिक स्वचलित अंगुल चिह्न व्यवस्था	11.09	निरंक	11.09	100
3	2055–800–1309–उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए सुरक्षा व्यवस्था	3.00	निरंक	3.00	100
4	2055–800–9078–विधानसभा भवन/परिसर की सुरक्षा व्यवस्था	2.00	निरंक	2.00	100
	; kx	41.09	निरंक	41.09	100

₹=₹% fofu; kx yqks , or foLrr fofu; kx yqkx

2-4-4 *i thxr vu kx ds LFku ij jktLo vu kx e s m's; 'kh'kz 63&e'khuk ds vrxt ctV iko/kku dk xyr oxhbj.k*

हमने देखा कि 16 योजनाओं के अंतर्गत, उद्देश्य शीर्ष 63—मशीनों के अंतर्गत ₹ 30.53 करोड़ के बजट प्रावधान राजस्व अनुभाग के अंतर्गत गलत वर्गीकृत कर दिए गए थे जबकि उद्देश्य शीर्ष 63—मशीनों की प्रकृति पूंजीगत अनुभाग से संबंधित है। उद्देश्य शीर्षवार एवं योजनावार विवरण *ifjf'k"V* 2-14 में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर (अगस्त 2015) बचत नियंत्रण अधिकारी ने बताया (अगस्त 2015) कि उद्देश्य शीर्ष 63—मशीनों के अंतर्गत प्रावधान वित्त विभाग द्वारा किए गए थे, इसलिए उनको राजस्व अनुभाग के अंतर्गत दर्ज किया गया था। तथ्य यह है कि उद्देश्य शीर्ष 63—मशीनों पूंजीगत प्रकृति का है एवं बजट में राजस्व अनुभाग में गलत वर्गीकृत किया गया।

2-4-5 *I rr cpr*

हमने देखा कि पिछले तीन वर्षों 2012–13 से 2014–15 के दौरान पुलिस विभाग के वेतन एवं मजदूरी में सतत बचतें हुई थी। बजट आवंटन, किए गए व्यय एवं बचत की राशि का वर्षवार विवरण *rkydk* 2-8 में सारांशीकृत किया गया है।

rkydk 2-8% oru , oae tnjh dh I kjk kh-r fLFkfr

(₹ djkM+es)

o"kl	ctV iko/kku	0; ;	cpr@l efi ljkf'k
2012–13	2,681.00	2,380.49	300.51
2013–14	3,431.19	2,802.91	628.28
2014–15	3,573.00	3,107.99	465.01
; kx	9,685.19	8,291.39	1,393.80

इस ओर इंगित किए जाने पर बजट नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि बचतें रिक्त पद एवं एरियर्स का भुगतान न होने के कारण हुई। आगे सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे गए 5000 नए पदों के प्रस्ताव के आधार पर मांग बढ़ी हुई थी, जिसका वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान अनुमोदन हुआ।

सतत बचतों से दर्शित हुआ कि बजट अनुमान वास्तविक रूप से तैयार नहीं किए गए थे एवं विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावशाली नहीं था। अधिक प्रावधान से यह भी दर्शित हुआ कि बजट अनुमान तदर्थ आधार पर तैयार किए गए थे।

2-5 *fu"d"kl , oa vu kld k, a*

ely , oavuij d vukuk ds vrxt ctsgif iko/kku

- 2014–15 के दौरान कुल बजट प्रावधान ₹ 1,48,505 करोड़ के विरुद्ध कुल ₹ 1,13,052 करोड़ व्यय हुए, परिणामस्वरूप ₹ 35,453 करोड़ की समग्र बचतें हुई। अतः ₹ 19,504 करोड़ (मूल प्रावधान का 15.12 प्रतिशत) के सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए। 37 मदों में (32 अनुदानों/विनियोगों) प्रत्येक मद में ₹ 100 करोड़ से अधिक की कुल ₹ 28,334.01 करोड़ की बचतें हुई थी।

सरकारी विभागों में बजटीय नियंत्रण तंत्र को व्यय के उचित अनुवीक्षण द्वारा सुदृढ़ किया जाना चाहिए। अनुपूरक अनुदानों के अनावश्यक प्रावधानों से बचा जाना चाहिए।

vkdfLedrk fuf/k dh ifri fr/u gkuk

- राज्य सरकार ने राज्य की आकस्मिकता निधि से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को ₹ 1.08 करोड़ अग्रिम स्वीकृत किए। जिसे वर्ष के दौरान व्यय किया गया, जबकि राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति शेष रही। आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति समय से किया जाना चाहिए।

njh / s@ugha / effir dh xb/cpr/

- वर्ष के दौरान कुल बचतों का केवल 49.64 प्रतिशत (₹ 17,597.59 करोड़) समर्पित किया गया था। 117 प्रकरणों में, ₹ 16,148 करोड़ की बचतें (प्रत्येक में ₹ 10 करोड़ से अधिक) वित्त वर्ष के अंतिम दिवस को समर्पित की गई थीं, जिससे इन निधियों की अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग हेतु गुंजाइश नहीं बची। सभी प्रत्याशित बचतों को समय से समर्पित किया जाना चाहिए ताकि निधियों का अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा सके।

Vkf/kD; 0; ft/ ds fu; eu dh vko'; drk gs

- 2014–15 के दौरान ₹ 446.28 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ, जिसका संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, विगत वर्षों से संबंधित ₹ 774.60 करोड़ अभी नियमित होना है। 1997–98 से लंबित आधिक्य व्यय का नियमितीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकता है।

dflnt; fuf/k; k/ dks fl foy tek ej [kuk

- 31 मार्च 2015 को आहरित ₹ 115.45 करोड़ की केन्द्रीय निधि को व्यपगत होने से बचाने के लिए लोक लेखे में सिविल जमा में अंतरित किया गया था, जिससे राज्य की समेकित निधि के अंतर्गत उस वर्ष के लिए व्यय बढ़ा हुआ था। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सिविल जमा में अप्रयुक्त निधियों का अंतरण परिणाम में राज्य का व्यय बढ़ा हुआ बताता है जिससे बचा जाना चाहिए।

